ग्रामीण श्रमिक योजनाओं पर व्यय

2288. **श्री शरद यादव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले आठ वर्षों के दौरान ग्रामीण श्रम योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष कितना धन व्यय किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि ग्रामीणों को इन योजनाओं से कोई फायदा नहीं पहुंचा है; और

(ग) यदि हां, तो कितने लोगों को ग्रामीण श्रम योजनाओं से फायदा पहुंचा है और कितनी अवधि तक हुआ है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय) : (क) से (ग) दो ग्रामीण श्रमिक नियोजन योजनाओं, अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम (रा०ग्रा०नि०का०) तथा ग्रामीण भूमिहीन नियोजन गारंटी कार्यक्रम (ग्रा० भू.नि.गा.का.) के तहत पिछले आठ वर्षों अर्थात् वर्ष 1980–81 से 1988–89 तक के दौरान व्यय की गई राशि तथा सृजित किए गए रोजगार दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । [देखिए परिशिष्ट 151, अनुबंध सं० 134] यह कहना सही नहीं है कि ग्रामीण लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है ।

महानगरीय शहरों में आवास की समस्या

2289. **श्री शरद यादव :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महानगरीय शहरों में आवास की समस्या विकट रूप ले चुकी है;

(ख) दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता आदि जैसे महानगरीय शहरों में ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान मकानों के आवंटन के लिए आवेदन भेजे हैं और विभिन्न वर्गों के उन मकानों की संख्या कितनी है जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा इस तीन वर्ष की अवधि के दौरान आवंटित किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि इन स्थानीय निकायों के अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही आवास समस्या अब तक हल नहीं की जा सकी; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर न हो तो, आज भी आवास समस्या के विकट रूप में बने रहने के अन्य कारण क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलबीर सिंह) : (क) महानगर आवास के बढ़ते हुये दबाव का सामना करते रहे हैं ।

(ख) से (घ) 1981 की जनगणना के अनुसार, महानगरों की जनसंख्या इस प्रकार है:—

नगर	जनसंख्या
दिल्ली	57,29,283
बम्बई	82,43,405
मद्रास	42,89,347
कलकत्ता	91,94,018

"आवास" तथा "स्थानीय शासन" राज्य के विषय हैं और सभी सामाजिक आवास योजनायें राज्य सरकारों/एवं राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनी स्थानीय आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने आवास बोर्डों के माध्यम से तैयार तथा कार्यान्वित की जाती हैं। इसलिए पिछले तीन वर्षों के दौरान मकानों के आवंटनार्थ आवेदकों की संख्या और स्थानीय निकायों द्वारा आवंटित मकानों की संख्या के बारे में सूचना केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।